

प्लास्टिक अपशष्टि प्रदूषण चर्चा का वषिय

प्रलमिस के लयि:

[नयितरक और महालेखा परीकषक \(CAG\)](#), [केंद्रीय परदूषण नयितरण बोरड \(CPCB\)](#), [लोक लेखा समति \(PAC\)](#), [वसितारति उत्पादक उत्तरदायतिव \(EPR\)](#), [प्लास्टिक अपशष्टि प्रबंधन नयिम, 2016](#)

मेन्स के लयि:

प्लास्टिक अपशष्टि प्रदूषण तथा इसका पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव ।

[स्रोत:टाइम्स ऑफ इंडिया](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक संसदीय पैनल ने [नयितरक और महालेखा परीकषक \(CAG\)](#) की एक रपिर्त का हवाला देते हुए देश में प्लास्टिक कचरे के अप्रभावी प्रबंधन पर चर्चा जताई ।

- पैनल ने इस मुद्दे को संबोधित करने के लयि अपने शथिल दृष्टिकोण के लयि [केंद्रीय परदूषण नयितरण बोरड \(CPCB\)](#) की आलोचना की तथा साथ ही [पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय](#) से समन्वय में सुधार करने एवं प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लयि ठोस कदम उठाने का आग्रह कयि ।

PAC रपिर्त का नषिकर्ष क्या है?

- मंत्रालय के परयासों की सराहना: [लोक लेखा समति \(PAC\)](#) ने मई 2021 से प्लास्टिक कचरे पर मंत्रालय के परयासों को स्वीकार करने के साथ-साथ लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण के खतरों से बचाने के लयि और अधिक प्रभावी उपायों की आवश्यकता पर बल दयि ।
- प्लास्टिक अपशष्टि उत्पादन में वृद्धि: प्लास्टिक अपशष्टि उत्पादन वर्ष 2015-16 में 15.9 लाख टन प्रतिवर्ष (TPA) से काफी हद तक बढ़कर वर्ष 2020-21 में 41.2 लाख TPA हो गया है ।
- अपरयुक्त प्लास्टिक अपशष्टि तथा पर्यावरणीय प्रभाव: वर्ष 2019-20 के आँकड़ों से पता चलता है कि देश में कुल प्लास्टिक कचरे का 50% (34.7 लाख TPA) अपरयुक्त रह गया, जससे यह वायु, जल एवं मृदा को प्रदूषित करता है और अंततः मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है ।
- डेटा अंतराल एवं वसिंगतयि: PAC ने CAG के वर्ष 2022 ऑडिट नषिकर्षों से यह देखते हुए एक बड़ा डेटा अंतराल स्पष्ट कयि कि कई [राज्य परदूषण नयितरण बोरड \(SPCB\)](#) ने वर्ष 2016-18 की अवधि के लयि प्लास्टिक अपशष्टि उत्पादन पर डेटा केंद्रीय परदूषण नयितरण बोरड (CPCB) को उपलब्ध नहीं कराया था ।
 - यह भी स्पष्ट कयि गया कि [SPCB](#) से प्राप्त डेटा को [CPCB](#) द्वारा मान्य नहीं कयि गया था और साथ ही कुछ मामलों में [शहरी स्थानीय नकियाँ \(ULB\)](#) द्वारा [SPCB](#) के साथ साझा कयि गए डेटा में वसिंगतयि थी ।
- प्लास्टिक के वकिल्प खोजने का महत्त्व: इसमें पाया गया कि "प्लास्टिक का लागत प्रभावी एवं भरोसेमंद वकिल्प ढूँढना" इसके उनमूलन के लयि एक पूर्व शर्त थी ।

प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम के लयि क्या उपाय कयि गए हैं?

- वैश्विक स्तर पर कयि गए उपाय:
 - प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने का संकल्प:
 - वर्ष 2022 में भारत सहति [संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा](#) के 124 देशों ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लक्ष्य के साथ बधिक रूप से बाध्यकारी समझौता तैयार करने के लयि एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कयि ।
 - [क्लोजिग द लूप](#):
 - यह [एशिया और प्रशांत के लयि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग](#) की एक परयोजना है जसका उद्देश्य

प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान करने के लिये अधिक प्रभावशील नीतियाँ बनाने में शहरों की सहायता करना है।

- ग्लोबल टूरज़िम प्लास्टिक्स इनशिएटिव:
 - इस पहल का लक्ष्य वर्ष 2025 तक अभिकल्पित प्रतबिधताओं के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना है।
- यूरोपीय संघ:
 - यूरोपीय संघ (EU) ने जुलाई 2021 में, एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर दशान्तरिदेश जारी किये।
- भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम:
 - हार्ड-टू-कलेक्ट/रीसायकल एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतबिध (SUP): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हार्ड-टू-कलेक्ट/रीसायकल एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतबिध लगाया।
 - 120 माइक्रोन से पतले प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर प्रतबिध लगा दिया गया।
 - प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022 के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग के लिये वसितारति निर्माता उत्तरदायित्व (EPR) पर दशान्तरिदेश जारी किये गए।
 - ये दशान्तरिदेश EPR, प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण, कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग के पुनः उपयोग और पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक सामग्री के उपयोग के लिये अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित करते हैं।
 - स्थानीय निकाय की ज़िम्मेदारी: प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय को प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रह, प्रसंस्करण और निपटान के लिये बुनियादी ढाँचे की स्थापना सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
 - अन्य महत्वपूर्ण पहल:
 - एकल-उपयोग प्लास्टिक के उनमूलन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर राष्ट्रीय डैशबोर्ड
 - इंडिया प्लास्टिक पैक
 - प्रोजेक्ट रीप्लान (REPLAN)
 - राष्ट्रीय हरति अधिकरण (NGT)

PAC रिपोर्ट की अनुशंसाएँ क्या हैं?

- **वर्षिक मूल्यांकन का महत्व:** डेटा में अंतराल को रेखांकित करते हुए, पैनल ने वातावरण में उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा का "वर्षिक मूल्यांकन" करने की आवश्यकता व्यक्त की और कहा कि यह समस्या को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने की दशान्तरिदेश में पहला कदम होना चाहिये।
- **राष्ट्रीय डैशबोर्ड पर अनिवार्य रिपोर्टिंग:** इसने राष्ट्रीय डैशबोर्ड पर ऑनलाइन डेटा की "अनिवार्य" रिपोर्टिंग की सिफारिश की।
- **परिवर्तन के लिये तत्काल और प्रभावी उपाय:** EPR के अलावा तत्काल और प्रभावी कदम, जसमें पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों तथा SUP के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, विकल्प खोजने पर अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिये धन उपलब्ध कराना, कार्यान्वयन एजेंसियों को जवाबदेह बनाना, पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। सामग्री और बढ़ती रीसाइकलिंग सुविधाओं को "वास्तविक तौर पर SUP पर प्रतबिध को प्रभावी ढंग से लागू करने" के लिये उठाए जा सकते हैं।
- **औद्योगिक प्रथाओं पर सतर्कता:** यह देखने के लिये उद्योगों पर कड़ी नज़र रखने की आवश्यकता है कि क्या उन्हें वास्तव में संग्रह और पुनर्चक्रण की आवश्यकता है या इसके बदले वे झूठे दावे करते हैं।
- **बॉटम-अप दृष्टिकोण को अपनाना:** बॉटम-अप दृष्टिकोण अपनाने की भी आवश्यकता है जहाँ देश के प्रत्येक ब्लॉक में कम-से-कम एक प्लास्टिक अपशिष्ट रीसाइकलिंग इकाई होनी चाहिये।
- **उद्योग की भागीदारी को प्रोत्साहित करना:** उद्योगों या नज़ी संस्थाओं को स्थानीय स्तर पर ऐसी इकाइयाँ स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये और बदले में उन्हें प्रभावी पारिश्रमिक उपायों के माध्यम से कचरा बीनने वालों के साथ मिलकर काम करना चाहिये।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board- CPCB)

- **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board- CPCB)**, एक वैधानिक संगठन है, जसका गठन वर्ष 1974 में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत किया गया था।
- CPCB को वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत शक्तियाँ तथा कार्य भी सौंपे गए थे।
- यह एक क्षेत्रीय गठन के रूप में कार्य करता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी प्रदान करता है।

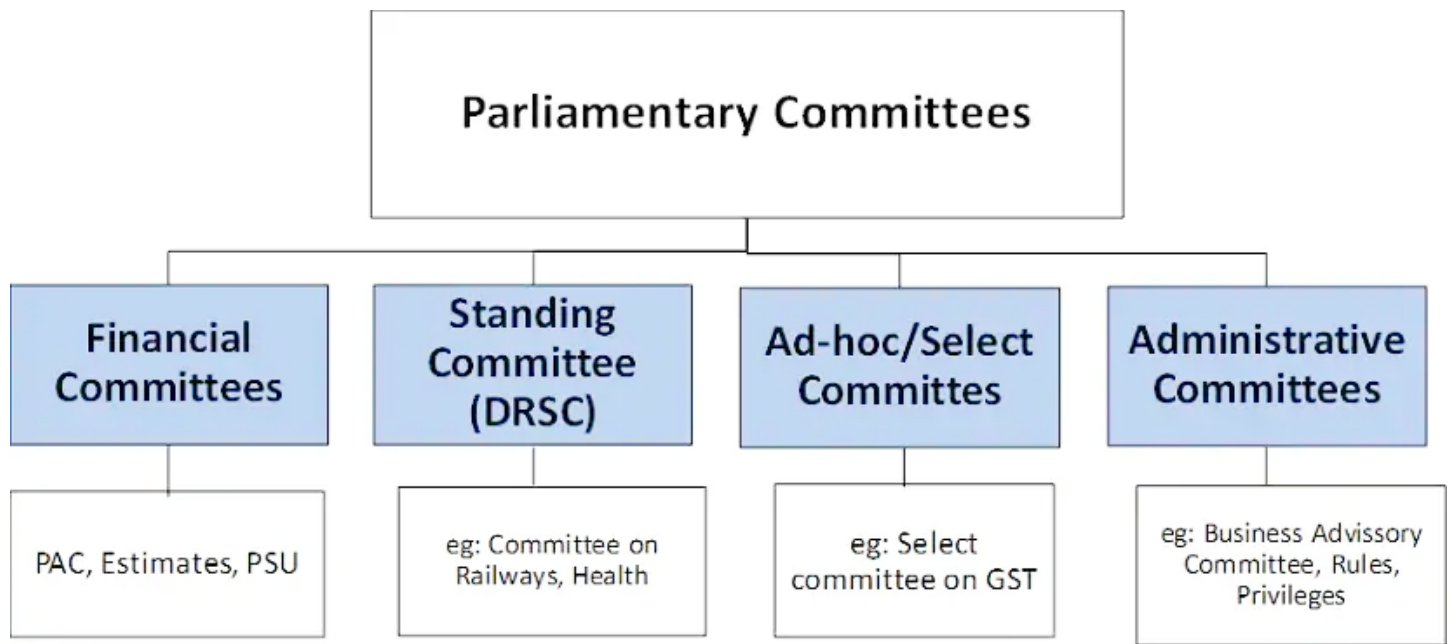
लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee- PAC)

- PAC तीन वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है, अन्य दो प्राककलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति हैं।
- संसदीय समितियाँ अनुच्छेद 105 (संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों पर) और अनुच्छेद 118 (अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को वनियमित करने के लिये नियम बनाने हेतु संसद के अधिकार पर) से अपना अधिकार प्राप्त करती हैं।
- **स्थापना:**
 - लोक लेखा समिति की शुरुआत वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम, 1919 में पहली बार उल्लेख के बाद की गई थी, जसिमें मॉन्टगोमरी सुधार भी कहा जाता है।
 - लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 308 के तहत अब प्रत्येक वर्ष लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है।
- **नियुक्ति:**
 - समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।

- गौरतलब है कि चूँकि यह समिति कार्यकारी निकाय नहीं है, अतः यह केवल ऐसे नरिणय ले सकती है जो सलाहकार प्रकृत के हों।

■ सदस्य:

- इसमें वर्तमान में केवल एक वर्ष की अवध के साथ **22 सदस्य** (लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए 15 सदस्य और राज्यसभा के सभापति द्वारा चुने गए 7 सदस्य) शामिल होते हैं।



EPR क्या है?

- यह उत्पादकों को उनके जीवन चक्र के दौरान उनके उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभावों के लिये ज़िम्मेदार बनाता है।
- EPR का उद्देश्य बेहतर अपशष्टि प्रबंधन को बढ़ावा देना और नगरपालिकाओं पर बोझ कम करना है।
- यह पर्यावरण की लागत को उत्पाद की कीमतों में एकीकृत करता है और पर्यावरण की दृष्टि से अच्छे उत्पादों के डिज़ाइन को प्रोत्साहित करता है।
- EPR विभिन्न प्रकार के अपशष्टि पर लागू होता है, जसमें प्लास्टिक अपशष्टि, ई-अपशष्टि और बैटरी अपशष्टि शामिल है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न.1 भारत में नमिनलखिति में से कसिमें एक महत्त्वपूर्ण वशिषता के रूप में 'वसितारति उत्पादक दायतित्व' आरंभ कयिा गया था? (2019)

- जैव चकितिसा अपशष्टि (प्रबंधन और हस्तन) नयिम, 1998
- पुनरचक्रति प्लास्टिक (नरिमाण और उपयोग) नयिम, 1999
- ई-अपशष्टि (प्रबंधन और हस्तन) नयिम, 2011
- खाद्य सुरक्षा और मानक वनियिम, 2011

उत्तर: (c)

प्रश्न. 2 राष्ट्रीय हरति अधकिरण (एन. जी. टी.) कसि प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नयित्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) से भनिन है? (2018)

- एन.जी.टी. का गठन एक अधनियिम द्वारा कयिा गया है जबकि सी.पी.सी.बी. का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से कयिा गया है।
- एन.जी.टी. पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है जबकि सी.पी.सी.बी. झरनों तथा कुँओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है एवं देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/concerns-raised-on-plastic-waste-pollution>

